

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-07082026-275283
SG-DL-E-07082026-275283असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228]	दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2026/श्रावण 16, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 158
No. 228]	DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2026/SHRAVAN 16, 1948	[N. C. T. D. No. 158

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग

[जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण) का कार्यालय]

प्रारंभिक अधिसूचना

दिल्ली, 6 अगस्त, 2026

फा. सं. DMS-S015/1/2026-LAC-DM(South)/E-38399/381-388 .— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21.07.2015 की अधिसूचना संख्या एसओ 2014 (ई), दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना संख्या एसओ 2740 (ई) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 40(1) तथा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपयुक्त सरकार होने का नाते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिसबल आयुर्विज्ञान संस्थान (सी ए पी एफ आई एम एस) की ओर जाने वाली पहुंच सड़क के चौड़ीकरण के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् राजस्व ग्राम मैदानगढ़ी, उप-प्रभाग छतरपुर,

जिलादक्षिण, दिल्ली में सार्क से सी ए पी एफ आई एम एस सड़क के लिए कुल 3406.057 वर्गमीटर भूमि की तत्काल आवश्यकता है।

इसलिए यह अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना के लिए राजस्व ग्राम मैदानगढ़ी, उप-प्रभाग छतरपुर, जिलादक्षिण, दिल्ली में कुल 3406.057 वर्ग मीटर माप वाली भूमि अधिग्रहणाधीन है, जिसका विस्तृत विवरण नीचे भूमि अनुसूची में दिया गया है:-

**भूमि अनुसूची
(भूमि का विवरण)**

क्र०सं०	खसरा संख्या	स्वामित्वका प्रकार	भूमि का प्रकार	अधिग्रहण के अंतर्गत क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	हितबद्ध व्यक्तियों का नाम तथा पता	सीमाएँ			
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1.	974/ 421-422 मिन	निजी	खाली	1179.546 (खसरा संख्या 421 में 136.168 तथा खसरा संख्या 422 में 1043.378)	1. भूदान यज्ञसमिति 2. श्रीमती आभा देवी पत्नी सतीश कुमार मोदी, निवासी मोदी नगर, उत्तर प्रदेश	खसरा संख्या 423	खसरा संख्या 424	खसरा संख्या 420	खसरा संख्या 974/ 421-422 मिन का शेष भाग तथा खसरा संख्या 424
2.	442 मिन	निजी	खाली	1760.744	1. मान सिंह डागर पुत्र रामफल, निवासी मैदानगढ़ी 2. नारायण सिंह डागर पुत्र रामफल, निवासी मैदानगढ़ी 3. लक्ष्मी देवी पुत्री रामफल 4. माया पुत्री रामफल 5. श्रीमती यशी जसपाल पत्नी एस एस जसपाल, निवासी 96 सी, ईस्टर्न एवेन्यू, सैनिक फार्म, नई दिल्ली 6. सुभाष, पुत्र मान सिंह 7. आदर्श, पुत्र मान सिंह	खसरा संख्या 424	खसरा संख्या 443	खसरा संख्या 442 मिन का शेष भाग	खसरा संख्या 442 मिन का शेष भाग

					8. अनिल कुमार, पुत्र मान सिंह 9. कुलश्रेष्ठ, पुत्र मान सिंह 10. नरगेश्वरी, पुत्री मान सिंह 11. राजकला, पत्नी अशोक कुमार 12. अंकुर, पुत्र अशोक कुमार 13. श्रीमती कविता, पुत्री अशोक कुमार 14. श्रीमती कंचन, पुत्री अशोक कुमार 15. सतबीर, पुत्र फूलकौर 16. राजबीर, पुत्र फूलकौर 17. शकुंतला, पुत्री फूलकौर 18. मेसर्स गुरुकुल लेदर्स, ऑफिस-54, वेस्टर्न एवेन्यू, सैनिक फार्म, नई दिल्ली प्रोप्राइटर एस.एस. जसपाल के माध्यम से 19. मेसर्स एलिवेशन होलिंग प्राइवेट लिमिटेड, एफ-24, पुष्पांजलि, नई दिल्ली, निदेशक एस एस जसपाल के माध्यम से 20. सावित्री, पत्नी प्रेम सिंह, निवासी नांगली जालिब नई दिल्ली।				
3.	519 मिन	निजी	खाली	41.995	श्री करण कुमार मोदी पुत्र सतीश कुमार मोदी, निवासी मोदी नगर, उत्तर प्रदेश	खसरा संख्या 520 एवं 424	खसरा संख्या 424	खसरा संख्या 519 मिन का शेष भाग और 424	खसरा संख्या 424

4.	520 मिन	निजी	खाली	423.772	श्रीमती आभा देवी पत्नी सतीश कुमार मोदी, निवासी मोदी नगर, उत्तर प्रदेश	खसरा संख्या 424	खसरा संख्या 419 एवं 424	खसरा संख्या 520 मिन का शेष भाग	खसरा संख्या 424
----	---------	------	------	---------	--	-----------------------	----------------------------------	---	--------------------

वृक्ष		
क्र० सं०	खसरा संख्या	वृक्षों की संख्या
1	974/421-422 मिन	4
2	519 मिन	1

संरचनाएं			
क्र०सं०	खसरा संख्या	प्रकार	संख्या
1	974/421-422 मिन	खाली	लागू नहीं
2	442 मिन	खाली	लागू नहीं
3	519 मिन	खाली	लागू नहीं
4	520 मिन	खाली	लागू नहीं

यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनः स्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 40 (1) तथा (4) के साथ पठित धारा 11 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत उन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

उपयुक्त सरकार एतद द्वारा उपायुक्त, जिला दक्षिण और उनके कर्मचारियों को उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित तथा विनिर्दिष्ट उनके कार्यों के समूचित निष्पादन हेतु अपेक्षित भूमि पर अपना स्वामित्व रखने तथा उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी स्तर पर भूमि का अधिग्रहण करने, भूमिगत खुदाई या बोरिंग करने और समस्त अन्य कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत करती है।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनः स्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से ऐसी भूमि का कोई भी लेन-देन या भूमि के किसी लेन-देन का कारण अर्थात् बिक्री/खरीद आदि या ऐसी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेगा।

उपयुक्त सरकार का यह मत है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनः स्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 की उपधारा (1), (2) और उपधारा (3) के प्रावधान उक्त अधिग्रहणाधीन भूमि पर लागू होते हैं तथा चूंकि यह भूमि धारा 40(2) के दायरे में आने वाले सार्वजनिक उद्देश्य के लिए तत्काल आवश्यक है, इसलिए उपयुक्त सरकार एतद द्वारा आगे अधिनियम की धारा 40(4) के अंतर्गत निर्णय लेते हुए निर्देश देती है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनः स्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अध्याय- II, III, धारा 14 से 18, 31, 32, 38, 43, 44 और 47 के प्रावधान इस अधिग्रहण पर लागू नहीं होंगे तथा अधिनियम की धारा 11 उपधारा (1) के साथ पठित के 40(1) और (4) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के तत्पश्चात् किसी भी समय उपरोक्त भूमि के संबंध में धारा 19 के अंतर्गत घोषणा की जा सकती है।

यद्यपि, कलेक्टर (उपायुक्त), जिला दक्षिण, दिल्ली ने कोई निर्णय नहीं लिया है, फिर भी वह भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनः स्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 21 में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से तीस दिनों की समाप्ति पर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक किसी भी भूमि पर कब्जा कर सकता है तथा तब ऐसी भूमि सभी अतिक्रमणों से मुक्त होकर पूर्णतः सरकार में निहित हो जाएगी।

भूमि की योजना का निरीक्षण कार्य घंटों के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर उपायुक्त/कलेक्टर, जिला दक्षिण, दिल्ली और निदेशक (एल एम)-II, डी डी ए के कार्यालय में किया जा सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

श्री लक्ष्य सिंघल, आई ए एस, कलेक्टर (उपायुक्त)

REVENUE DEPARTMENT

[Office Of The District Magistrate (South)]

PRELIMINARY NOTIFICATION

Delhi, the 6th August, 2026

F. No. DMS-S015/1/2026-LAC-DM(South)/E-38399/381-388 .— In exercise of the power conferred by sub section (1) of Section 11 read with section 40(1) and (4) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 read with Notification No. S.O 2740 (E) dated 21st October, 2014 read with S.O. 2014 (E) dated 21.07.2015 of Ministry of Home Affairs, Government of India, it appears to the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi being the Appropriate Government that a total of 3406.057 square meters of land is urgently required for public purpose, namely, for SAARC to CAPFIMS Road in Revenue Village Maidan Garhi Sub-Division Chattarpur, District South, Delhi for widening of approach Road leading to Central Armed Police Forces Institute of Medical Sciences (CAPFIMS) for Delhi Development Authority.

Therefore, it is notified that for the above said project in Revenue Village Maidan Garhi, Sub-Division Chattarpur, District South, Delhi total land measuring 3406.057 square meters, whose detailed description is given below in schedule of land, is under acquisition:-

SCHEDULE OF LAND

(Specification of Land)

S. No	Kh. No.	Type of title	Type of land	Area under acquisition (in Sqm)	Name and address of person interested	Boundaries			
						N.	S.	E.	W.
1.	974/421-422 Min	Private	Vacant	1179.546 (136.168 in Kh No. 421 and 1043.378 in Kh No. 422)	1. Bhudan Yagya Samiti, 2. Smt. Abha Devi W/o Satish Kumar Modi, R/o Modi Nagar, U.P.	Kh. No. 423	Kh. No. 424	Kh. No. 420	Remaining part of Kh.No 974/ 421-422 min & Kh. No. 424
2.	442 min	Private	Vacant	1760.744	1. Maan Singh Dagar S/o Ramphal R/o Maidan Garhi	Kh. No. 424	Kh. No. 443	Remaining part of Kh. No. 442 Min	Remaining part of Kh. No. 442 Min

					2. Narain Singh Dagar S/o Ramphal R/o Maidan Garhi				
					3. Laxmi Devi D/o Ramphal				
					4. Maya D/o Ramphal				
					5. Smt Yashi Jaspal W/o S.S. Jaspal R/o 96 C, Eastern Avenue, Sainik Farm, New Delhi				
					6. Subhas S/o Maan Singh				
					7. Adarsh S/o Maan Singh				
					8. Anil Kumar S/o Maan Singh				
					9. Kulshrestha S/o Maan Singh				
					10. Nargeshwari D/o Maan Singh				
					11. Rajkala wd/o Ashok Kumar				
					12. Ankur S/o Ashok Kumar				
					13. Smt. Kavita D/o Ashok Kumar				
					14. Smt. Kanchan D/o Ashok Kumar				
					15. Satbir S/o Phool Kaur				
					16. Rajbir S/o Phool Kaur				
					17. Shakuntala D/o Phool Kaur				
					18. M/s Gurukul Leathers Office-54 Western Avenue, Sainik Farm New Delhi through proprietor S.S. Jaspal				
					19. M/s Elevation Holding Pvt Ltd,				

					F-24, Pushpanjali New Delhi through Director S.S. Jaspal				
					20. Savitri w/o Prem Singh R/o Nangli Jalib New Delhi.				
3.	519 min	Private	Vacant	41.995	Sh. Karan Kumar Modi S/o Satish Kumar Modi, R/o Modi Nagar, U.P.	Kh. No. 520 & 424	Kh. No. 424	Remaining part of Kh. No. 519 Min & 424	Kh. No. 424
4.	520 min	Private	Vacant	423.772	Smt. Abha Devi W/o Satish Kumar Modi, R/o Modi Nagar, U.P.	Kh. No. 424	Kh. No. 419 & 424	Remaining part of Kh. No. 520 Min	Kh. No. 424

Trees		
S. No.	Kh. No.	Number of trees
1	974/421-422 Min	4
2	519 Min	1

Structures			
S. No.	Kh. No.	Type	Number
1	974/421-422 Min	Vacant	NA
2	442 Min	Vacant	NA
3	519 Min	Vacant	NA
4	520 Min	Vacant	NA

This notification is made under the provisions of Section 11(1) read with Section 40 (1) and (4) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), to all whom it may concern.

The Appropriate Government is pleased to authorize Deputy Commissioner, District South, and his staff to enter upon and survey land, take levels of any land, dig or bore into the sub-soil and do all other acts required for the proper execution of their work as provided and specified in Section 12 of the said Act.

Under Section 11(4) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, etc. or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification without prior approval of the Collector.

The Appropriate Government being of the opinion that the provisions of sub section (1), (2) and sub-section (3) of Section 40 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 are applicable to said land under acquisition and since the land is urgently required for the public purpose falling within the purview of section 40(2), the Appropriate Government is further pleased to decide under section 40(4) of the Act and directed that the provisions of Chapters- II, III, Sections 14 to 18, 31, 32, 38, 43, 44 and 47 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 shall not apply to this acquisition and a declaration may be made under Section 19 in respect of the above land at any time after the date of publication of the preliminary notification under sub-section (1) of Section 11 read with 40(1) and (4) of the Act;

The Collector (Deputy Commissioner), District South, Delhi, though no award has been, may, on expiration of thirty days from the publication of the notice mentioned in Section 21 of the Right to Fair

Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, take possession of any land needed for a public purpose and such land shall thereupon vest absolutely in the Government, free from all encumbrances.

A plan of the land may be inspected in the office of the Deputy Commissioner/Collector, District South, Delhi and Director (LM)-II, DDA on any working day during the working hours.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

Sh. LAKSHAY SINGHAL, IAS, Collector (Deputy Commissioner)